शासन विरूद्ध चन्द्रशेखर पटेल वगै० Case No. 919/2022

Witness No......**01**.........For ....अभियोजन .... Diposition takan on **..27.05.2024..** the day ..सोमवार ..Witness's apparent age.24 yrs States on affirmation .....शपथपूर्वक...my name is ..भानू पटेल ... W/o of .... चन्द्रशेखर पटेल........Occupation..............गृहणी...... Address– निवासी ग्राम–माधोपाली, थाना–सारंगढ़, जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ०ग०)

Time : 03.50 To

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री हुतेश सिंह नेताम ए०डी०पी० ओ० द्वारा शासन

1. मैं न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण चन्द्रशेखर पटेल एवं शशिभूषण पटेल को पहचानती हूँ ।
2. मेरी विवाह 02.02.2021 को ग्राम माधोपाली के चन्द्रशेखर पटेल के साथ सामाजिक रीति –रिवाज के साथ हुआ था । मेरा पति और मेरे ससुर ने मेरे साथ किसी भी प्रकार का दहेज की मांग को लेकर किसी भी प्रकार का प्रताड़ना नही किया था । मेरा पति और मेरे ससुर के साथ राजीनामा हो गया है । मैं उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार का कार्यवाही नही कराना चाहती हूं । मैंने आवेश में आकर थाना सारंगढ़ में लिखित शिकायत की थी । लिखित शिकायत प्र०पी०–1 एवं 2 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । लिखित शिकायत प्र०पी०–2 के आधार पर थाना सारंगढ़ के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०–3 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । मेरे बताये अनुसार घटना स्थल का नजरी नक्शा पुलिस वालो के द्वारा तैयार किया गया था, नजरी नक्शा प्र०पी०–4 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

इसी स्तर पर ए०डी०पी०ओ० द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही, अभिलेख अवलोकन पश्चात् अनुमति दी गयी ।

3. साक्षी का उसका बयान प्र०पी०–5 है, जिसके अ से अ भाग मैं....................पकड़ते है, पढ़कर सुनाये जाने पर ऐसा बयान पुलिस वालो को नही दिया जाना बताया ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री एम० आर० जोल्हे वास्ते आरोपीगण

4. यह कहना सही है कि लिखित रिपोर्ट प्र० पी०–1 एवं 2 को मेरे द्वारा नही लिखा गया है । यह कहना सही है कि उसमें मेरे द्वारा हस्ताक्षर की गई थी । यह कहना सही है कि मेरे द्वारा पुलिस के कहने पर प्र०पी०–3 में हस्ताक्षर किया हूं । यह कहना सही है कि नजरी नक्शा प्र०पी०–4 को मेरे समक्ष तैयार नही किया गया था, पुलिस के कहने पर थाना में हस्ताक्षर की थी ।

साक्ष्य समाप्तः **04.30 बजे**

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया
सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देश पर टंकित ।

सही
(शीलू सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सारंगढ़(छ०ग०)

सही
(शीलू सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सारंगढ़ (छ०ग०)

साक्षी के हस्ताक्षर